राजस्व लोक अदालत ''न्याय आपके द्वार'' कैम्प 2015 ग्राम पंचायत अजीतगढ राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत अजीतगढ

निर्णय दिनांकः– 26.05.2015

1. प्रकाश चन्द्र पिता भंवरलाल भाट निवासी अजीतगढ, तहसील भीम

बनाम

1. श्री पुरण सिंह पिता खेतसिह रावत निवासी खेराटा अजीतगढ, तहसील भीम
2. श्री बालुसिंह पिता श्री पुनमसिंह जाति रावत निवासी खेराटा, अजीतगढ, तहसील भीम
3. श्री भंवरसिंह पिता नन्दा जी जाति भाट निवासी अजीतगढ तहसील भीम
4. श्री मोहनसिंह पिता नन्दासिंह जी जाति भाट निवासी अजीतगढ तहसील भीम जिला राजसमन्द
5. श्री मांगीलाल पिता श्री नन्दा जी जाति भाट निवासी अजीतगढ तहसील भीम जिला राजसमन्द

प्रकरण संख्या :– 66/2013 प्रा.प्र. अन्तर्गत धाराः– 111, 128

1. उपर्युक्त प्रकरण में तहसील भीम प्रकाश चन्द्र पिता भंवरलाल भाट निवासी अजीतगढ, **बनाम** श्री पुरण सिंह पिता खेतसिह रावत निवासी खेराटा अजीतगढ, तहसील भीम वगेराह का निवेदन है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारो के बीच सुलह हो चुकी है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नही रहा है। हम पक्षकारो के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके है।

अतः मौजा अजीतगढ के निम्न आराजी आई हुई हैं–

खता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा			किस्म
		बीधा	विस्वा	विस्वांसी	
218	1350/1344	0	7	0	बारानी 2
	1351/1344	0	4	0	बारानी 1
	1352/1344	1	15	0	बारानी 1
	1353/1344	0	14	0	बारानी 1

कुल किता चार रकबा 3 बीधा

प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि का पडौस निम्न प्रकार हैः–

पूर्व में बालुसिंह पिता पुनमसिंह की भूमि, पश्चिम में भंवरलाल पिता नन्दा जी की भूमि , उत्तर में सोहनलाल पिता नन्दा की भूमि, दक्षिण में मगरी पडत है। उपरोक्त आराजियात की मौके पर सही सीमा जानकारी के चिन्ह नही होने की वजह से प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य लडाई–झगडा होता रहता है। फसल बोते एवं काटते वक्त हमेशा लडाई झगडा होता रहता हैं। प्रार्थी उपरोक्त वर्णित भूमि को विकसित कर उपजाऊ बनाना चाहता हैं तथ पाल डोल लगाना चाहता हैं। अतः राजस्व लोक अदालत ''न्याय आपके द्वार'' कैम्प 2015 ग्रम पंचायत अजीतगढ में लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तथा उपरोक्त आराजियात की पक्की पत्थर गडी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भीम नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण से जमा कर उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
अधिकारी, भीम

Scanned by CamScanner